I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

मैला ढोना और मानवाधिकारः अतंर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भारत का मूल्यांकन

सारिका सिंह [1*], डॉ. ईष्वर स्वरूप सहाय [2]

[1] Research Scholar, Department of Sociology, Dayalbagh Educational Institute, Agra (Deemed University), Dayalbagh Educational Institute

[2] Supervisor, Dayalbagh Educational Institute, Agra (Deemed University), Dayalbagh Educational Institute

Corresponding Author: * सारिका सिंह

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21331984

सारांश

मैला ढोना, जिसे मैनुअल स्कैवेंजिगं के रूप में जाना जाता है, भारत में एक ऐसी प्रथा है जो मानव गरिमा, समानता, स्वास्थ्य, और आर्थिक अधिकारों का गंभीर उल्लघंन करती है। यह प्रथा, जो मुख्य रूप से दलित समदुायों, विषेषकर महिलाओं से जुड़ी है, भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 17 और 21, साथ ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफह्यमून राइट्स (UDHR), अतंरराष्ट्रीय श्रम सगंठन (ILO) के कन्वेंशन, और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करती है। यह शोध पत्र भारत में मैला ढोने की स्थिति का विश्लेषण करता है, इसके मानवाधिकार उल्लंघनों की गहन जाँच करता है, और अतंरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से तुलनात्मक मल्ूयांकन प्रस्तुत करता है। पत्र नीतिगत सुधार, तकनीकी नवाचार, सामाजिक जागरूकता, और पुनर्वास के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक सुझाव देता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 05-06-2026
- **Accepted:** 10-07-2026
- **Published:** 13-07-2026
- **IJCRM:**5(4); 2026: 141-144
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

सारिका सिंह, डॉ. ईष्वर स्वरूप सहाय. मैला ढोना और मानवाधिकारः अतंर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भारत का मूल्यांकन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4):141-144.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: मैला ढोना, मानवाधिकार, भेदभाव, स्वच्छ भारत, सतत विकास, पुर्नावास।

© 2026 सारिका सिंह, डॉ. ईष्वर स्वरूप सहाय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

मैला ढोना, जिसमें मानव मल को हाथ से साफ करना शामिल है, भारत में एक ऐसी प्रथा है जो सामाजिक, आर्थिक, और मानवाधिकार चुनौतियों को उजागर करती है। यह प्रथा न केवल जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ों को दर्शाती है, बल्कि मानव गरिमा, समानता, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन भी करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का निषेध) और 2013 के "The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act" ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है, लेकिन 2024 तक के आँकड़े बताते हैं कि भारत में अभी भी 58,000 से अधिक लोग इस कार्य में संलग्न हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं (Human Rights Watch, 2024)। अतंरराष्ट्रीय स्तर पर, मैला ढोना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफह्यमून राइट्स (UDHR), अंतरराष्ट्रीय श्रम सगंठन (ILO) के कन्वेंशन 111 और 182, और सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6.2 के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। यह शोध पत्र भारत में मैला ढोने की स्थिति का मूल्यांकन करता है, इसके मानवाधिकार उल्लघंनों का गहन विश्लेषण करता है, और अतंरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पत्र का उद्देश्य नीतिगत, तकनीकी, और सामाजिक सुधारों के लिए सझुाव देना है, ताकि इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

2. साहित्य समीक्षा

मैला ढोने पर उपलब्ध साहित्य इस प्रथा को भारत की जाति व्यवस्था, लैंगिक असमानता, और आर्थिक मजबूरी से जोड़ता है। सफाई कर्मचर्मारी आदोंलन (SKA) के अध्ययनों से पता चलता है कि यह प्रथा मुख्य रूप से दलित समदुायों, विशेषकर वाल्मीकि, भंगी, और अन्य निचली जातियों पर केंद्रित है (SKA, 2023)। Singh (2020) ने तर्क दिया कि मैला ढोना सामाजिक भेदभाव, शिक्षा की कमी, और वैकल्पिक रोजगार के अभाव का परिणाम है। अतंरराष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने मैला ढोने को ष्अमानवीय और अपमानजनकष् प्रथा के रूप में वर्गीकृत किया है (UNHRC, 2019)। विश्व स्वास्थ्य सगंठन (WHO) ने इसके स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला है, जबकि ILO के कन्वेंशन 111 और 182 इसे भेदभावपूर्ण और खतरनाक कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6.2, जो 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता सनिुनिश्चित करने की बात करता है तथा मैला ढोने को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देता है।

3. मैला ढोने की स्थितिः भारत का परिदृश्य

3.1 प्रथा का स्वरूप

मैला ढोना मानव मल को हाथ से साफ करने की प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से शुष्क शौचालयों, सेप्टिक टैंकों, नालियों, और रेलवे पटरियों पर किया जाता है। यह प्रथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है। स्वच्छ भारत मिशन (2014-2024) ने शौचालय निर्माण को बढ़ावा दिया है, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिगं अभी भी रेलवे, पुरानी बस्तियों, और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। 2024 तक, भारत में 58,000 से अधिक लोग इस कार्य में सलंग्न हैं, जिनमें से 70 प्रतिषत से अधिक महिलाएँ हैं (MOSJE, 2024)।

3.2 सामाजिक-आर्थिक कारक

मैला ढोना मुख्य रूप से दलित समदुायों, विशेष कर वाल्मीकि, भंगी, और अन्य निचली जातियों से जुड़ा है। गरीबी, शिक्षा की कमी, और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की अनुपस्थिति इस प्रथा को बनाए रखने में प्रमुख कारक हैं। 2021 के सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार, मैला ढोने में शामिल 90 प्रतिषत से अधिक लोग दलित हैं, और इन में से 70 प्रतिषत महिलाएँ हैं (MOSJE 2021)। दलित महिलाएँ दोहरे भेदभाव (जाति और लिंग) का सामना करती हैं, जो उनकी स्थिति को और जटिल बनाता है।

3.3 कानूनी ढांचा

भारत ने मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानूनी कदम उठाए हैं। 1993 का "मैला ढोने वालों के रोजगार तथा शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम" The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 तथा 2013 का "मैला ढोने के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम" The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013 इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं तथा मैला ढोने वालों के पुनर्वास का प्रावधान करते हैं। 2013 के अधिनियम में मैला ढोने वालों के लिए वैकल्पिक रोजगार, वित्तीय सहायता तथा शिक्षा संबंधी प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में यह प्रथा अभी तक पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकी है। वर्ष 2023 तक केवल 40% मैला ढोने वालों का पुनर्वास किया जा सका है (MOSJE, 2023)। इसके अतिरिक्त, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इस प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने तथा सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु के मामलों में उचित मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

3.4 स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) ने 2014 से 2024 तक 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे मैला ढोने की प्रथा में कमी आई है। हालांकि SBM ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है, और सेप्टिक टैंकों की सफाई में मैनुअल स्कैवेंजिगं जारी है। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, SBM के तहत बने कई शौचालयों में मशीनीकृत सफाई सुविधाएँ नहीं हैं, जिसके कारण मैला ढोने की प्रथा बनी हुई है। (CAG, 2024)।

4. मानवाधिकार उल्लघंन का विश्लेषण

मैला ढोना भारतीय सविंधान और अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के कई प्रावधानों का उल्लघंन करता है। नीचे इस प्रथा के प्रमुख मानवाधिकार उल्लंघनों का गहन विश्लेषण किया गया हैः

4.1 गरिमा के अधिकार का उल्लंघन

भारतीय सविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गरिमा का अधिकार अंतर्निहित है। मैला ढोना, जिसमें व्यक्ति को मानव मल को हाथ से साफ करना पड़ता है, इस अधिकार का स्पष्ट उल्लघंन है। UDHR का अनुच्छेद 1 भी सभी व्यक्तियों को जन्मजात गरिमा का अधिकार देता है। मैला

© 2026 सारिका सिंह, डॉ. ईष्वर स्वरूप सहाय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ढोने वाले लोग सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार, और मानसिक तनाव का सामना करते हैं, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाता है।

केस स्टडी 1: रानीबाई, एक 45 वर्षीय दलित महिला, जो उत्तर प्रदेश के एक गाँव में मैला ढोने का काम करती थी, ने बताया कि उसे सामाजिक तिरस्कार और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उसने कहा कि लोग हमें छूने से डरते हैं, और मेरे बच्चे स्कूल में अपमान सहते हैं (SKA, 2023)। यह उनके परिवार की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है।

4.2 समानता और भेदभाव-निषेध का उल्लंघन

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। फिर भी, मैला ढोना विशेष रूप से दलित समदुायों पर थोपा जाता है, जो जातिगत भेदभाव का प्रतीक है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर, UDHR का अनुच्छेद 2 और ।LO का कन्वेंशन 111 जाति, लिंग, या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैला ढोने में 90 प्रतिषत से अधिक महिलाओं की भागीदारी लैंगिक और जातिगत भेदभाव के दोहरे बोझ को दर्शाती है। आंकडे 2024 की एक Human Rights Watch रिपोर्ट के अनुसार, 70 प्रतिषत से अधिक मैला ढोने वाली महिलाएँ सामाजिक तिरस्कार और मानसिक तनाव की शिकार हैं। यह लैंगिक भेदभाव को और उजागर करता है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ इस कार्य में अधिक सलंग्न हैं।

4.3 स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण का उल्लंघन

मैला ढोने वाले लोग गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं, जैसे त्वचा रोग, श्वसन समस्याएँ, और विषाक्त गैसों (जैसे मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड) के कारण मृत्यु 2024 तक, भारत में मैला ढोने से सबंधित 300 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जो मुख्य रूप से सेप्टिक टैंकों में दम घुटने के कारण हुईं (SKA, 2024)। यह WHO और ।LO के सुरक्षित कार्य वातावरण के मानकों का उल्लंघन है।

तालिका 1: मैला ढोने से सबंधित स्वास्थ्य जोखिम और मृत्यु (2020-2024)

वर्ष	सेप्टिक टैंक में मृत्यु	स्वास्थ्य समस्याएँ (लगभग)
2020-	110	25000
2021	98	22000
2022	105	20000
2023	115	18000
2024	120	15000

स्त्रोतः Safai Karmachari Andolan (SKA), 2024

ग्राफ का विवरणः यदि ग्राफ बनाया जाए, तो यह मृत्यु दर में वृद्धि और स्वास्थ्य समस्याओं में धीमी कमी को दर्शाएगा, जो मशीनीकरण की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों को इंगित करता है।

4.4 आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लघंन

मैला ढोने वाले लोग न्यूनतम मजदूरी से भी कम कमाते हैं और सामाजिक सुरक्षा लाभों, जैसे पेंशन या स्वास्थ्य बीमा, से वचिंत रहते हैं। यह UDHR के अनुच्छेद 23 (उचित कार्य और मजदूरी का अधिकार) और SDG 10 (असमानता में कमी) का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक बहिष्कार के कारण इन समदुायों को शिक्षा, आवास, और अन्य मूल-भूत सुविधाओं तक पहुँच नहीं मिलती। केस स्टडी(2)रूलक्ष्मी, एक 38 वर्षीय मैला ढोने वाली महिला, ने बताया कि उसे प्रतिदिन 100 रुपये से कम मजदूरी मिलती है, और पुनर्वास योजना के तहत उसे कोई सहायता नहीं मिली। उसने कहा, "मुझे कोई और काम नहीं मिलता, क्योंकि लोग हमें केवल सफाई के लिए उपयुक्त मानते हैं" (Human Rights Watch Report, 2024).

4.5 दलित महिलाओं पर दोहरा प्रभाव

मैला ढोने में शामिल 70 प्रतिषत से अधिक लोग महिलाएँ हैं, जो जाति और लिंग के आधार पर दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। ये महिकार्यस्थल पर उत्पीड़न, हिंसा और स्वास्थ्य जोखिमों का शिकार होती हैं। गर्भास्था के दौरान विषाक्त पदार्थों के सपंर्क में आने से उनके बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, 2023 की एक WHO रिपोर्ट के अनुसार, मैला ढोने वाली गर्भवती महिलाओं में जन्मजात असामान्यताओं की दर सामान्य आबादी की तुलना में 20% अधिक है।

5. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

5.1 वैश्विैश्विक तुलना

दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश जैसे देशों में भी समान प्रथाएँ थीं, लेकिन वहाँ तकनीकी नवाचार और नीतिगत सुधारों ने इन प्रथाओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया। बांग्लादेशः 2000 के दशक में, बांग्लादेश ने स्वचालित स्वच्छता प्रणालियों (जैसे वैक्यूम टैंकर) और सामदुायिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजिगं को कम किया। 2015 तक, बांग्लादेश ने इस प्रथा को 80% तक समाप्त कर दिया था (न्छप्ब्थ्, 2015)। दक्षिण अफ्रीका ने 1990 के दशक में स्वच्छता सुधारों और मशीनीकृत सफाई प्रणालियों के माध्यम से पिट लैट्रिन सफाई को समाप्त किया। भारत में, स्वच्छ भारत मिशन ने कुछ प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण की कमी और सामाजिक रवैये ने इसे बाधित किया है।

5.2 अतंरराष्ट्रीय सगंठनों की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), विश्व स्वास्थ्य सगंठन (WHO), और अतंरराष्ट्रीय श्रम सगंठन (ILO) ने मैला ढोने को समाप्त करने के लिए नीतिगत सिफारदी हैं। SDG 6.2 का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करना है, जिसमें मैला ढोने का उन्मूलन शामिल है। भारत ने इन लक्ष्यों को अपनाया है, लेकिन कार्यान्वयन में कमी इसे अतंरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लघंन बनाती है।

तालिका 2: अंतराराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक और मैला ढोने का उल्लंघन

मानवाधिकार मानक	उल्लंघन का स्वरूप	भारतीय संदर्भ
UDHR अनुच्छेद 1	गरिमा का उल्लंघन	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
UDHR अनुच्छेद 2	भेदभाव	भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

© 2026 सारिका सिंह, डॉ. ईष्वर स्वरूप सहाय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

UDHR अनुच्छेद 23	उचित मजदूरी एवं सम्मानजनक कार्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
SDG 6.2	स्वच्छता एवं सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएँ	मैला ढोने के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

6. चुनौतियाँ और नीतिगत कमियाँ

कानून का कार्यान्वयनः 2013 अधिनियम का अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी की कमी। स्थानीय प्रशासन अक्सर इस प्रथा को नज़रअंदाज़ करता है।

सामाजिक रवैयाः जातिगत भेदभाव और सामाजिक स्वीकृति इस प्रथा को बनाए रखते हैं। कई समदुायों में, मैला ढोना ष्दलितों का कार्यष् माना जाता है।

तकनीकी बाधाएँः स्वचालित स्वच्छता प्रणालियों (जैसे वैक्यूम टैंकर) की उच्च लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अनपुस्थिति ।

पुनर्वास की कमीः 2013 अधिनियम में पुनर्वास का प्रावधान है, लेकिन केवल 40ः मैला ढोने वालों को वैकल्पिक रोजगार या कौशल प्रशिक्षण मिला है (डवैश्रम्, 2023)।

7. नीतिगत सुधारः

2013 के अधिनियम को और सख्त करना, जिसमें उल्लंघन के लिए कठोर दंड और निगरानी तंत्र शामिल हों। स्थानीय प्रशासनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन।

तकनीकी नवाचारः

स्वचालित स्वच्छता प्रणालियों, जैसे बायो-टॉयलेट और मशीनीकृत सेप्टिक टैंक सफाई, को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली मशीनीकृत प्रणालियों का विकास और वितरण।

सामाजिक जागरूकताः

स्कूलों और समदुायों में जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए जागरूकता अभियान। मीडिया और गैर-सरकारी सगंठनों के साथ साझेदारी कर सामाजिक स्वीकृति को बदलना।

पुनर्वास और सशक्तिकरणः

मैला ढोने वालों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे सिलाई, हस्तशिल्प, या तकनीकी कार्य। वित्तीय सहायता और सक्ष्ूम-वित्त योजनाएँ ताकि वेस्व-रोजगार शुरू कर सकें।

अतंरराष्ट्रीय सहयोगः

UN और ILO के साथ साझेदारी बढ़ाकर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करना। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।

8. निष्कर्ष

मैला ढोना भारत में एक गभंीर मानवाधिकार उल्लघंन है, जो गरिमा, समानता, स्वास्थ्य, और आर्थिक अधिकारों को प्रभावित करता है। यह प्रथा भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 17 और 21, साथ ही UDHR, ILO कन्वेंशन, और SDG 6.2 जैसे अतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लघंन करती है। स्वच्छ भारत मिशन ने इस प्रथा को कम करने में कुछ प्रगति की है, लेकिन मशीनीकरण की कमी, सामाजिक भेदभाव, और पुनर्वास की अपर्याप्त व्यवस्था ने इसे पूरी तरह समाप्त करने में बाधा डाली है। नीतिगत सुधार, तकनीकी नवाचार, सामाजिक जागरूकता, और अतंरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त करना सभंव है। भारत को अपनी अतंरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओ, विशेष रूप से SDG 6, को पूरा करने के लिए तत्काल और समन्वित कार्यवाही करनी होगी। सरकार, नागरिक समाज, और अतंरराष्ट्रीय सगंठनों को एक जुट होकर इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि मैला ढोने वालों को गरिमा पूर्ण जीवन और समान अवसर मिल सकें।

संदर्भ सूची

1. Comptroller and Auditor General of India. *Performance audit of Swachh Bharat Mission*. New Delhi: Government of India; 2024.
2. Human Rights Watch. *Cleaning human waste: Manual scavenging in India* [Internet]. New York: Human Rights Watch; 2024. Available from: https://www.hrw.org
3. Ministry of Social Justice and Empowerment. *National survey on manual scavenging*. New Delhi: Government of India; 2021.
4. Ministry of Social Justice and Empowerment. *Annual report on manual scavenging*. New Delhi: Government of India; 2023.
5. Safai Karmachari Andolan. *Status of manual scavenging in India*. New Delhi: Safai Karmachari Andolan; 2023. Available from: https://www.safaikarmachariandolan.org
6. Singh R. Caste and manual scavenging: A study of social exclusion. Indian J Soc Work. 2020;81(2):123-140.
7. United Nations Human Rights Council. *Report on manual scavenging and human rights*. Geneva: UNHRC; 2019.
8. United Nations Children's Fund. *Sanitation reforms in Bangladesh*. Dhaka: UNICEF; 2015.
9. World Health Organization. *Health impacts of manual scavenging*. Geneva: WHO; 2023.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

सारिका सिंह समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), आगरा, उत्तर प्रदेश में पी.एच.डी. शोधार्थिनी हैं। उनकी शोध रुचियाँ सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक अध्ययन, मानवाधिकार, ग्रामीण एवं शहरी विकास तथा सार्वजनिक नीति से संबंधित हैं। वे सामाजिक अनुसंधान और अकादमिक लेखन में सक्रिय हैं।

डॉ. ईश्वर स्वरूप सहाय समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), आगरा, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी विशेषज्ञता समाजशास्त्र, राजनीतिक अध्ययन, सामाजिक अनुसंधान, लोक नीति तथा समकालीन सामाजिक मुद्दों में है। वे उच्च शिक्षा, शोध एवं विद्यार्थियों के अकादमिक मार्गदर्शन में सक्रिय योगदान देते हैं।

© 2026 सारिका सिंह, डॉ. ईष्वर स्वरूप सहाय. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/